

भारतीय रिज़र्व बैंक

गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग

मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय

RESERVE BANK OF INDIA
DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION
MUMBAI REGIONAL OFFICE



पंजीकरण प्रमाण पत्र

CERTIFICATE OF REGISTRATION

(जनता की जमाराशियां स्वीकार करने के लिए वैध नहीं)
(Not valid for accepting Public Deposits)

संख्या
No. N-13. 02141

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 झ क के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **फिन्ट्री फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड** को

दूसरी तरफ दी गयी शर्तों पर जनता से जमाराशियां स्वीकार किये बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार प्रारंभ करने / करते रहने के लिए यह

पंजीकरण प्रमाण पत्र

जारी किया गया।

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934

Fintree Finance Private Limited

is hereby granted

Colour Xerox

Certificate of Registration

to commence / carry on the business of non-banking financial institution without accepting public deposits subject to the conditions given on the reverse.

मेरे हस्ताक्षर के अधीन नवंबर दो हजारसोलह की तीन तारीख को जारी किया गया।

this Third

Given under my hand at Mumbai
day of November Two Thousand Sixteen



महामंडल मजिस्ट्री
(एम. एम. माझी / M. M. Majhi)
(महा प्रबंधक / उप महा प्रबंधक)
General Manager / Deputy General Manager